रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2014/वैशाख 10, 1936
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2014/VAISAKHA 10, 1936

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2014

सं. आरएस. 46/2014-टी.—यत:, राज्य सभा के सदस्य श्री टी. एम. सेल्वागणपति 17 अप्रैल, 2014 को आर.सी. 29 (ए)/97 में मामला सी.सी.सं. 25/2001 में सी बी आई मामलों के लिए IX अपर विशेष न्यायाधीश, चेन्नई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए हैं और उनको 25,000 रुपये के अर्थदण्ड के साथ दो वर्ष के सश्रम कारावास (अर्थदण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में और चार माह के सश्रम कारावास) की सजा अधिनिर्णित की गई है;

और यत:, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 में अंतर्विष्ट मौजूदा उपबंधों में उक्त धारा में उल्लिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की निरर्हता का प्रावधान है;

और यत:, राज्य सभा के सदस्य श्री टी. एम. सेल्वागणपति की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की मौजूदा धारा 8 के अनुसार दोषसिद्धि की तारीख अर्थात् 17 अप्रैल, 2014 से उनकी सजा की अवधि तक के लिए राज्य सभा का सदस्य होने से निरर्हित हो गए हैं और वे उनकी रिहाई के पश्चात् और छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित बने रहेंगे;

अब इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (3) के उप-खंड (क) के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्य श्री टी. एम. सेल्वागणपति का स्थान, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 में उल्लिखित निरर्हताएं उपगत करने पर, उनकी दोषसिद्धि की तारीख अर्थात् 17 अप्रैल, 2014 से रिक्त हो गया माना जाएगा ।

शमशेर के. शरीफ, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2014

No. RS. 46/2014-T.—Whereas, Shri T. M. Selvaganapathi, Member of the Council of States (Rajya Sabha) has been convicted under sub-section (2) of Section 13 read with clause (d) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) by the Court of IX Additional Special Judge for CBI cases, Chennai in Case C.C. No. 25/2001 in R.C. 29(A)/97 on the 17th of April, 2014, followed by an award of sentence of two years rigorous imprisonment along with a fine of ₹25,000 (in default to undergo rigorous imprisonment for four months);

And whereas, the existing provisions contained in Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) read with sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution provide for disqualification of a person convicted for offences referred to in the said section;

And whereas, consequent upon the conviction of Shri T. M. Selvaganapathi, Member of the Council of States (Rajya Sabha), he stands disqualified for being a Member of the Council of States (Rajya Sabha) from the date of conviction, *i.e*., the 17th day of April, 2014 for the period of his sentence and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release in terms of the existing Section 8 of the Representation of the People Act, 1951;

Now therefore, in accordance with sub-clause (a) of clause (3) of article 101 of the Constitution, the seat of Shri T. M. Selvaganapathi, Member of the Council of States (Rajya Sabha) representing the State of Tamil Nadu, on incurring disqualifications mentioned in Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) read with sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution, shall be deemed to have become vacant from the date of his conviction, *i.e.* the 17th day of April, 2014.

SHUMSHER K. SHERIFF, Secy.-General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.